संख्याः 73/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
शिक्षा विभाग,
उत्तरांचल शासन।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 23 जनवरी, 2006

विषयः—दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जनपद देहरादून में ग्राम केदारपुर की 2.701 है0 अतिरिक्त भूमि निःशुल्क हस्तानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी के पत्र संख्या—156/12ए—94(2002—05) दिनांक 6—10—2005 एंव शासनादेश संख्या—470/18(1)/2005 दिनांक 16 जुलाई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—260/वि0अनु0—3/2002 दिनांक 15—2—2002 मे की गई व्यवस्थानुसार अधिसूचना संख्या—79(2)/18(1)/2005 दिनांक 6 जनवरी, 2006 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नगर निगम देहरादून से पुनर्ग्रहीत जनपद देहरादून की तहसील देहरादून के ग्राम केदारपुर की खसरा नं0—355ग रकबा 1.8210 है0, खसरा नं0—397क रकबा 0.6800 है0, खसरा नं0—397ख रकबा 0.2000 है0 अर्थात कुल रकबा 2.701 है0 भूमि दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग को निम्नलिखित शर्तो के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैंः—

1— भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2— जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

...(2)

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गई है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– जब कभी मूल विभाग को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता होगी तो भूमि मूल विभाग को वापस करनी होगी।

8– प्रश्नगत भूमि पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु नियत प्राधिकारी, वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

2– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल,पौड़ी।
4– एन0आई0सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।